राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 2702/2005 जोधपुर

दी जोधपुर सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक लि.
जोधपुर ..... प्रार्थी

बनाम्

1– राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,द्वितीय,जोधपुर
2– श्री मुकुन्द चन्द भंसाली पुत्र घेवरचन्द भंसाली जाति ओसवाल निवासी उम्मेद क्लब रोड, राईका बाग, बी पी पी सी डिपो के पास, जोधपुर

एकलपीठ

राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित ::

श्री मदन गुर्जर,
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता, ...अप्रार्थीसंख्या 1की ओर से

दिनांक : 16.04..2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 65 भारतीय मुद्रांकक अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर वृत,जोधपुर दिनांक 22.05.2001 प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त निर्णय विद्वान जिला कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर वृत,जोधपुर ने मुकदमा नम्बर 596/1999 में पारित किया था।

वकील निगरानीकर्ता श्री मदन गुर्जर व उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। पक्षकारों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील निगरानीकर्ता ने आग्रह किया कि वह प्रकाशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में उनसे कोई भी सम्पर्क साधा नहीं गया है और न ही निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित है। वकील निगरानीकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आग्रह किया कि वह अप्रार्थी संख्या दो को श्री मुकुन्द चन्द भंसाली पुत्र श्री घेवरचन्द भंसाली को इस प्रार्थना पत्र के अनुसरण के लिये आवश्यक पक्षकार नहीं मानते है इसलिये उन्हे इस प्रार्थना पत्र से तर्क किया जाय।

उपराजकीय अभिभाषक श्री जमील जई का कथन है कि न्यायालय द्वारा गत तारीख पेशी दिनांक 04.03.2015 को प्रार्थी निगरानीकर्ता को नोटिस प्रकाशन की रिपोर्ट पेश करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था जिससे प्रार्थी निगरानीकर्ता ने न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है और अब एक विविध प्रार्थना पत्र देकर अपार्थी संख्या दो को तर्क करने की मांग कर रहे हैं, जो कि अनुचित है और इस आधार पर ही प्रार्थना पत्र निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.03.2015 को प्रार्थी निगरानीकर्ता को अप्रार्थी संख्या दो हेतु नोटिस प्रकाशन करने का अन्तिम अवसर दिया गया। इसके पूर्व भी न्यायालय द्वारा प्रार्थी निगरानीकर्ता को समय–समय पर प्रकाशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कई बार हिदायत दी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी निगरानीकर्ता न्यायालय के समक्ष सुनने योग्य नहीं रह जाते है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी निगरानीकर्ता का विविध आवेदन पत्र दिनांक 07.04 2015 कोभी निरस्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष